भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2889

बुधवार, 11 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

रुग्ण उद्योगों की जगह नए उद्योग लगाना

2889. श्री सुरेश पुजारीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की उन स्थानों पर जहां पुराने सरकारी और निजी उद्योग या तो बंद हो गए हैं या रुग्ण पड़े हैं, जिनके कारण वहां बेरोजगारी और भुखमरी पैदा हो गई है, नए उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार ने बारगढ़ संसदीय क्षेत्र के बेजराजनगर की ओरिएण्ट पैपर मिल, झारसुगुडा की भास्कर टेक्सटाइल मिल, बारगढ़ की कॉपरेटिव शुगर मिल्स और स्पिनिंग मिल्स को पुनः चालू करने के संबंध में ओडिशा सरकार के साथ मामले को उठाया है;

(ग) एक विकल्प के तौर पर क्या सरकार इन उद्योगों को जिनमें जल आपूर्ति और रेल संपर्क तथा सभी अवसंरचना मौजूद है को अपने अधिकार में लेगी ताकि वहां वैकल्पिक उद्योग स्थापित किए जा सकें और श्रमिकों की बेरोजगारी और अन्य समस्याओं का एक साथ समाधान खोजा जा सके; और

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): उद्योगों की स्थापना मुख्य रूप से राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार के पास देश में नए उद्योगों की स्थापना करने संबंधी स्वतंत्र नीति नहीं है।

प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा रुग्ण सीपीएसई को बंद करने और बंद पड़ी सीपीएसईएस/ इकाइयों को फिर से चालू करने या उन्हें लाभदायक बनाने सहित पुनरुद्धार/पुनर्स्थापना/विनिवेश से संबंधित सभी मामले निपटाए जाते हैं।

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरुद्धार और पुर्नस्थापना के लिए एक कार्य ढांचा' जारी किया है। इस कार्य ढांचा के अंतर्गत, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे एमएसएमई खातों से संबंधित शुरूआती दबाव की पहचान करने और इसे उपयुक्त सुधारात्मक कार्य योजना अर्थात सुधार, पुनर्गठन और रिकवरी हेतु इस कार्य ढांचा के तहत गठित समितियों को भेजा जाए।

(ख) और (ग): ओरिएंट पेपर मिल्स, ब्रजराजनगर ने पुराने विवादित मुद्दों की मांगों में रियायत तथा उन्हें छोड़ने और उचित मूल्यांकन तथा पुनरुद्धार के लिए एक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु साइट के क्लिनिंग अप के लिए कानून व्यवस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था। ओडिशा राज्य में रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

भास्कर टेक्सटाइल मिल्स, झारसुगुडा के उत्पादन कार्यकलापों को मई, 1998 से सीज कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, ओडिशा के कंपनी कोर्ट में मिल की परिसमापन प्रक्रिया न्यायिक निर्णय के अधीन है।

बारगढ़ में स्पिनिंग मिल अर्थात उड़ीसा बुनकर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इकाई की संपत्तियों को विभिन्न वित्तीय संस्थानों और सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा जब्त/सम्बद्ध कर दिया गया है।

*****